यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -तृतीय, राज्य कर, रूड़की** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -तृतीय, राज्य कर, रूड़की के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री आनंद कुमार पाण्डेय ले.प., श्री अरविंद कुमार उपाध्याय एवं श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत (तदर्थ), सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.12.2020 से 16.12.2020 तक श्री शशिकांत पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आशीष पाण्डेय, (व.ले.परि.) श्री चंद्रमोहन सिंह रावत (तदर्थ), श्री गोविंद सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.11.2019 से 07.12.2019 तक श्री राज कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः - रूड़की से भगवानपुर**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	**अर्जित राजस्व (₹ लाख मे)**
2017-18	4.45 करोड़ VAT+ 5.98 करोड़ SGST
2018-19	8.86 करोड़
2019-20	607.04 लाख

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(₹ लाख में)

वर्ष	**Plan**		**Non plan**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई "A" श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त **>** आयुक्त कर, वाणिज्य कर**>** ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर**>** वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -तृतीय, राज्य कर, रूड़की** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -तृतीय, राज्य कर, रूड़की** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: ------- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ------- (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

भाग-II (ब)

प्रस्तर - 01: आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 1.77 लाख।

प्रस्तर - 02: व्यापार खाते में कम बिक्री प्रदर्शित किए जाने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 2.23 लाख।

प्रस्तर - 03: आईटीसी का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने एवं अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण राजस्व क्षति ` 0.25 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

<u>भाग 2 'ब'</u>

प्रस्तर - 01 : आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 1.77 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधो के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा। पुनः**,** यदि किसी व्यापारी ने आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत की है, तो उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (v) के अंतर्गत दस हजार रूपये या अंतर्ग्रस्त कर की धनराशि, जो भी अधिक हो, से अनधिक धनराशि अर्थदण्ड के रूप में आरोपणीय है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड -3 राज्य कर, रुड़की के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी **सर्वश्री आधुनिक ट्रेडर्स, टिन: 05014112652** द्वारा संगत वर्ष 2016-17 में 13.5/14.5 % से करयोग्य माल (पैंट) की कुल ` 19,60,503/- (6,91,833 + 12,68,670) की खरीद एवं ` 11,79,014/- (574245 + 604769) की बिक्री घोषित की गई थी एवं उक्त बिक्री को स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर आरोपित किया गया था। उक्त व्यापारी द्वारा ` 11,15,262/- का आरंभिक रहतिया एवं ` 1,70,551/- का अंतिम रहतिया प्रदर्शित किया गया था। यदि सम्पूर्ण आरंभिक रहतिया को 5% की दर से करयोग्य माल एवं अंतिम रहतिया को 14.5% की दर से करयोग्य माल मान लिया जाय, तो भी 13.5/14.5 % से करयोग्य माल (पैंट) की न्यूनतम बिक्री ` 17,89,952/- (₹ 1960503 - ₹ 1,70,551) की होनी चाहिए थी। अतः, अंतरीय राशि ` 6,10,938 (₹ 17,89,952 - ₹ 11,79,014) पर 14.5% की दर से ` 88,586/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है। इसके अतिरिक्त आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करने के कारण उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 की उपधारा 1(v) के अंतर्गत न्यूनतम ` 88,586/- का अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि <u>जांचोपरांत एवं नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।</u>

अतः, आवर्त की मिथ्या विवरणी (बिक्री कम प्रदर्शित किया जाना) प्रस्तुत करने के कारण कर एवं अर्थदण्ड के अनारोपण से ` 1,77,172/- (88,586 + 88,586) की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 'ब'</u>

प्रस्तर - 02: व्यापार खाते में कम बिक्री प्रदर्शित किए जाने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 2.23 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधो के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खंड-3, राज्य कर, रुड़की की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि उपरोक्त व्यापारी, सर्वश्री संगम युग ट्रेडस, TIN:05015041039 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2016-17 की पत्रावली में उपलब्ध कराये गए खरीद-बिक्री के आंकड़ों के अनुसार 13.5% की दर की वस्तुओं की बिक्री कम प्रदर्शित की गयी थी, जो निम्नवत है:

(राशि ₹ में)

कर का प्रतिशत	प्रा.रहतिया	खरीद	बिक्री	अंतिम रहतिया	कम प्रदर्शित बिक्री	कम प्रदर्शित बिक्री पर आरोपणीय कर@13.5%
13.5% एवं 14.5%	38984	27000(प्रा.) 828700 (आ)	68895	2193	825789	1,11,481

अतः उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार यदि कम प्रदर्शित बिक्री पर लाभांश न भी जोड़ा जाए तब भी कम प्रदर्शित बिक्री ₹825789/- पर बिक्री के अनुक्रम में 13.5% की दर से ₹1,11,481/- (₹825789@13.5%) कर आरोपणीय था, जो आरोपित नहीं किया गया। अतः, कम आरोपित कर ₹1,11,481/-, राजकोष में जमा कराये जाने योग्य है, इसके अतिरिक्त उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(I)(v) के अंतर्गत नियमानुसार ₹1,11,481/- का अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि लेखा परीक्षा दल द्वारा ₹8,28,700/- की आयातित खरीद को 13.5% की दर से मानते हुए ` 8,25,789/- कम प्रदर्शित बिक्री की गणना की गई है जबकि 8,28,700/- की खरीद सूची में plastic chonky एवं stand की खरीद की गई है जो उ0मू0व0करअधि0 2005 की अनुसूची II (बी) के क्रमांक 8 से आच्छादित हे, अतः, उक्त खरीद पर 5% की दर से करदेयता बनती है न कि 13.5%. अतः, आपत्ति निक्षेप योग्य है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उ0मू0व0करअधि0 2005 की अनुसूची II (बी) के क्रमांक 8 की प्रविष्टि "All utensils and **enamelled utensils**(including pressure cookers and pans), buckets, **jugs & mugs,** made of aluminium, "iron & steel", plastic or other materials except precious metals. की है। इसलिए, plastic chonky एवं stand उक्त प्रविष्टि से आच्छादित नहीं मानी जा सकती है।

अतः, व्यापार खाते में कम बिक्री प्रदर्शित किए जाने के कारण ` 2,22,962/- (कर ` 1,11,481 + अर्थदण्ड ` 1,11,481) की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 'ब'</u>

प्रस्तर - 03: आईटीसी का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने एवं अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण राजस्व क्षति ` 0.25 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6 के विविध प्रावधानों के अनुसार उत्पादित माल के स्टॉक ट्रान्सफर की स्थिति में स्टॉक ट्रान्सफर के अनुपात में ही दावाकृत टैक्स क्रेडिट में कमी कर दी जाती है। पुनः, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1) (xi) के अनुसार यदि कोई व्यौहारी इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है तो वह व्यौहारी अर्थदण्ड के रूप में पाँच हज़ार रुपए या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा ।

कार्यालय **सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खंड-3**, राज्य कर विभाग रुड़की की लेखापरीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री **इंद्रभान इंडस्ट्रीस खादी ग्रामोध्योग संस्थान, किशनपुर, रुड़की द्वारा** प्रांतीय पंजीकृत व्यापारियों से क्रय किए गए माल ` 771802/- पर ` 33097/- की आईटीसी का दावा किया था। चूंकि व्यापारी द्वारा कुल बिक्री ` 1607633/- में से ` 610480/- मूल्य के माल का स्टॉक ट्रान्सफर किया गया था जो कि कुल बिक्री का 37.97% है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार दावकृत आईटीसी ` 33097/- का स्टाक ट्रांसफर के अनुपात में ` 12567/- (33097 का 37.97%) का आईटीसी रिवर्स कर राजकोष में जमा कराये जाने योग्य है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि <u>पत्रावली एवं संगत वर्ष के ऑनलाइन रिटर्न के अवलोकन पर पाया गया कि व्यापारी द्वरा ` 771802/- पर ` 39234/- की दावा की गई आईटीसी में से पूर्व में ही ` 6,317/- की आईटीसी रिवर्स करते हुए ` 33,097/- के आईटीसी का दावा किया गया था। अतः, संप्रेक्षा दल द्वरा स्टॉक ट्रान्सफर पर आईटीसी रिवर्स की आपत्ति के संबंध में उक्त तथ्यों के आधार पर उचित एवं आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।</u>

इकाई के उत्तर के आलोक में उपरोक्त गलत दावा की गई आईटीसी ` 12,567/- में से ` 6,317/- की रिवर्स की गई आईटीसी को घटाने के उपरांत ` 6250/- (12,567 - 6,317) राजकोष में जमा कराये जाने योग्य है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 58(1) (xi) के अनुसार गलत दावा की गई ITC की उक्त राशि का तीन गुना अर्थात ` 18750/- का अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

अतः, आईटीसी का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने एवं अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण ` 25000/- (6250 + 18750) की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
41/2011-12		1,2	-
39/2015-16		1,2,3,4,5	-
125/2017-18		1	-
148/2019-20	1	1,2,3	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -तृतीय, राज्य कर, रूड़की** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती पूनम राजपूत,	सहायक उपायुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV